कार्यालय नगर परिषद् बरेली, जिला-रायसेन (म.प्र.)

Emil- cmobareli@mpurban.gov.in
phone No 9993227803

क्रमांक/स्था/दिव्या.भ./2024/2220 //विज्ञापन// बरेली दिनॉक 21 / 8/2024

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र
क्रमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.
2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था/एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य
प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान
के तहत दिव्यांगजनों के लिए 03 पद का नाम सफाई संरक्षक (सविदा) के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता
एवं आर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 06.09.2024 कार्यालयीन समय 5:30 सायंकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें।
निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय
उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:-

सरल क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनो की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टबाधित और कमदृष्टि,	बहरे और कम सुनने वाले,	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सफाई संरक्षक (सविदा)	चतुर्थ श्रेणी	8000 अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर अनुसार।	01	01	01	0	05 वी कक्षा उत्तीर्ण	पात्र अभ्यार्थियो को वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथ एवं समय की सूचना उनके ईमेल आईडी पर पृथक से दी जावेगी।

मुख्य शर्तें:-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रो की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम
3. आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा.,अनु. जनजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर
सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3
4. भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। दिव्यांगता के डिजिटल
6. प्रमाण पत्र की अर्निवायता दिनॉक 01.06.2024 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथ के पूर्व जारी मेन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगे।
डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
7. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
8. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।
9. पात्र अभ्यार्थियो को वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना उनके ईमेल आईडी पर पृथक से दी जावेगी।
10. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के
11. लिए आयोग्य माना जायेगा।
यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पर के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की
12. अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक
13. को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
सीधी/बैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।
14. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर
15. आरक्षण किये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण
का लाभ प्राप्त नही होगा।
ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये
16. गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन
17. के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यणथयों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह
18. सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यगथयों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही
19. कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने है, जिसमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात्
20. हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे
अयोग्य नही माना जावेगा।

21. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
22. दिव्यांजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।
23. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

स्व–प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

कार्यालय का नाम/पूरा पता/टेलिफोन नम्बर

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम..
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम..
3. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम..
4. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष.................. ....माह.........................दिन.........................
5. दिनांक.........................को आयु वर्ष.....................माह.....................दिन.................................
6. आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरूष/महिला/अन्य)..
7. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां/नही)...... ....
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत..
9. आवेदक/आवेदिका की जाति..
10. आवेदक/आवेदिका का यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण–पत्र अनुसार विवाह की दिनांक.................................. ....
11. जीवित संतानों का विवरण..
12. वर्तमान पता/पिन कोड ....
13. स्थाई पता/पिन कोड ....
14. पत्राचार का पता/पिन कोड..
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम................ ....
16. संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण..
17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण–पत्रो की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18. अनुभव यदि होतो उसका विवरण..
19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण..
20. ईमेल आई.डी..
21. मोबाईल नम्बर 1..2..

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

"मै घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। काई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।"

आवेदक के हस्ताक्षर

पृ.क्र. 2220 / न.प./स्था /दिव्यांगजन पदपूर्ति/2024 बरेली दिनांक 21 / 8 /2024

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला रायसेन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान संयुक्त संचालक महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल संभाग भोपालकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वेव कन्टेंट मेनेजर नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल की ओर विज्ञापन वेबसाइड पर अपलोड हेतु।
5. कार्यालय जिला पंचायत जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अध्यक्ष महोदय नगर परिषद बरेली की और सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. कार्यालय नगर परिषद बरेली कार्यालय नोटिस वोर्ड पर चस्पा ।
8. संपादक हरिभूमि/................/............. समाचार पत्र की ओर अपने समाचार पत्र मे 01 दिवस प्रकाश कर 05 प्रतियो मे समाचार पत्र के साथ देयक प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

(हरिशंकर वर्मा)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बरेली

मुख्य नगर पालिका अधिकारी